

हुक्म  
निर्णय

शुक्म या कार्यवाही मय इनामोयल्स जज  
आरदार पी. मिहल पुजा-चन्द्र खां सुकस/17  
दिनांक 7/3/17 धारा 91 R.A. 1956

हुक्म की तामी  
में जारी हुए

7/3/17

पत्रावली पेश हुई जैर सापलान अतिक्रमि उपर  
संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पठवारी हल्का  
जौलडा द्वारा इस आश की रिपोर्ट प्रस्तुत की  
है कि राजकीय भूमि ग्राम खोहरा आरख नं. 103  
कुल रकवा 1.64 है. किम्प जमीन वर्जुड कडीम  
पर श्री मिहल पुजा-चन्द्र खां कौम मेव सां  
खोहरा 26 कामों द्वारा 0.20 है. रकवा पर जिस  
सरसो बोक नाजापज अतिक्रमण कर लिया है।  
प्रकल दर्ज यजि. किमा जाका जैर सापलान के  
विरुद्ध राजहयान भू. राजत्व अधिनिमत्र 1956  
की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया।  
जिसकी पालना में जैर सापलान अतिक्रमि उपर  
अशालत जाये तथा नोटिस का पत्राव प्रस्तुत  
गयी किमा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अतिक्रमि  
रकवा वर्जुड कडीम जो कि राजकीय एवं सार्वजनिक  
उपयोग की भूमि है जिससे अतिक्रमि को केवल  
किमा जाना उचित है।

अतः आदेश है कि राजहयान भू. राजत्व  
अधिनिमत्र 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमि,  
श्री मिहल पुजा-चन्द्र खां कौम मेव सां खोहरा की  
आरख नं. 103 रकवा 0.20 है. वाने ग्राम  
खोहरा में फसल सरसो बोक किये अतिक्रमण से  
वैदखल किमा जाता है तथा लगान 1.80 की पन्पाय  
गुण शशि = 90-रु. (नब्बे) रुपये से इम्डित किमा  
जाता है। जिसकी T.R.A. को मांग कायम कराई  
जावे व पठवारी हल्का को पत्रावली पेश की एवं  
वैदखली हेतु तथा खडी फसल को नीलाय का  
फाई नीलायी स्वीकृति हेतु लिख्य जाका पत्रावली  
फसल शुद्ध होकर वाउ तकमील इखिल इफतर्दा।

निर्णय आज दिनांक 7/3/17 को कुल

अध्यालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
कामां (भरतपुर)

संजो. रज. 2016-1  
के पेज नं 99 ह 90-2  
कायम. न गई।

तहसील रात्रक के कायम